न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(डॉ0 भंवर लाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 01 / 2021
दायर दिनांकः 21.01.2021
निर्णय दिनांक 21.05.2024

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये, नोपाराम आरपीएस(प्रशिक्षु), थानाधिकारी थाना नाथद्वारा

— प्रार्थी

—:बनामः—

श्री देवीलाल पिता कालु जी निवासी पीपरडा भट्टा थाना राजनगर

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री दिनेश खटीक, अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 31.12.2020 को प्रस्तुत किया गया जिसमें यह निवेदन किया गया कि दिनांक 20.12.2020 को सांय 4.44 पीएम पर मन थानाधिकारी नोपराम भाकर मय उपनिरीक्षक विजय कुमार, मय स.उ.नि. मनेष सिंह मय हैड कानि. अशोक कुमार न. 106, नरेन्द्र कुमार न. 162, सुमित न. 120 मय सरकारी वाहन मय चालक भूरीलाल के वास्ते गस्त नाथद्वारा ओडन की तरफ सर्कल गस्त कस्बा नाथद्वारा की करते हुए 5.50 पीएम पर नाथुवास चौराहे पहुंचा कि जहां से जरिये मुखबिर सूचना मिली कि उपली ओडन में जमना लाल पिता मोहनलाल सुथार के प्लॉट में देवीलाल खटीक नामक व्यक्ति ने अवैध रूप से पेट्रोलियम तरल पदार्थ भारी मात्रा में संग्रहित कर रखा है, चोरी छिपे बेचता है समय रहते दबिष दी जाये तो भारी मात्रा में पट्रोलियम तरल पदार्थ मिल सकता है तथा उक्त व्यक्ति भी मौके पर पकडा जा सकता है। सूचना विश्वसनीय होने से तथा नियमानुसार तलाशी वारंट प्राप्त करने में समय लगने के कारण माल खुर्द बुर्द होने की संभावना होने से बिना तलाशी वारंट कार्यवाही की जाना उचित होने से मन एसएचओ द्वारा श्री पूरण सिंह निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल बताया गया कि आप मय अनुसंधान बॉक्स के जमना लाल सुथार के प्लाट उपली ओडन पर अविलम्ब पहुंचे तत्पश्चात् रवाना हो मन एसएचओ मय उपरोक्त जाब्ता जमनालाल सुथार के प्लाट उपली ओडन पहुंचा जहां पर उक्त प्लोट जिसका गेट लोहे का होकर उत्तर दिशा में है अन्दर एक व्यक्ति खडा मिला जिसने पुलिस जाब्ता को देख कर दौडने का प्रयास किया जिसे रोककर नाम पता पूछा तो देवीलाल पिता कालू जी खटीक उम्र 35 वर्ष निवासी पीपरडा भट्टा

न्यायालय जिला कलक्टर

थाना राजनगर होना बताया उक्त व्यक्ति को मुखबिर के इत्तला से अवगत कराया गया तत्पश्चात मन एसएचओ मय जाब्ता के प्लॉट का मुआयना किया गया तो प्लॉट के दक्षिण पूर्वी कोने पर एक लोहे का टेंक्कर लगभग आधा जमीन में गाढा हुआ है जिसका कुछ भाग जमीन से उपर दिख रहा है जिसका ढक्कन खोल कर देखा गया तो उसके अन्दर पट्रोलियम जैसा तरल पदार्थ सूंघने, देखने व परखने से लगा। इसी तरह प्लॉट के उत्तर दिशा में छोटा कमरा तथा पास ही टीनशेड बना हुआ हो जिसके नीचे 3 प्लास्टिक की काले रंग की बड़ी टंकिया रखी है जिसमें एक टंकी फुल भरी हुयी दूसरे में लगभग 20 प्रतिशत पदार्थ पेट्रोलियम जैसा पदार्थ देखने, सूधने व परखने से पाया गया तथा एक टंकी खाली व आडी पड़ी हुयी थी। तथा कमरे में एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाईप व एक 10 लीटर व एक 5 लीटर का एल्यूमिनीयम जैसा रंग के नाप पड़े थे। मौके पर यथा स्थिती बनाये रखते हुए व देवीलाल को डिटेन रखते हुए मन थानाधिकारी द्वारा उच्चाधिकारियों को हालात निवेदन करते हुए जिला रसद अधिकारी राजसमन्द एवं सहायक प्रबन्धक रिटेल सेल्स आईओसी उदयपुर को जरिये टेलीफोन मौके पर पहुंचने हेतु सूचित किया गया तो बताया कि हम जल्दी ही मौके पर पहुंच रहे है। देवीलाल खटीक से संक्षिप्त पूछताछ की गयी तो बताया कि मैं पिछले एक माह से उक्त पेट्रोलियम तरल पदार्थ अपने कब्जे में भंडारण कर रहा हूँ व समय समय पर चोरी छिपे बेच भी रहा हूँ। समय 7.00 पीएम पर श्री पूरण सिंह पुलिस निरीक्षक थाना नाथद्वारा मय कानि नरेन्द्र नं. 920 मय अनुसंधान बॉक्स के मौके पर पहुँचें व रात्रि करीब 8.00 पीएम पर श्री लोकेश जोशी प्रर्वतन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी व विरेन्द्र कुमार मीणा सहायक प्रबन्धक रिटेल सेल्स आईओसी मौके पर पहुचें, साथ ही मौके पर प्लॉट मालिक जमना लाल तलविदा उपस्थित आया, प्लोट में रखें टैंकर व काले रंग की प्लास्टिक की टंकियों का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उक्त टेंकर व टंकियों में अवैध रूप से पेट्रोलियम जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ है। भरे हुये उक्त तरल पदार्थ की उक्त अधिकारियों द्वारा भी देखने सूंघने व परखने पर पेट्रोलियम जैसा तरल पदार्थ होने की पुष्टि की गयी। देवीलाल खटीक द्वारा उक्त पेट्रोलियम जैसा पदार्थ भारी मात्रा में बिना किसी सुरक्षा उपाय के भंडारण करना एवं पूछने पर बिना किसी विक्रय सम्बन्धी अनुज्ञापत्र व अन्य दस्तावेजों के अभाव में बेचकर अनुचित लाभ प्राप्त करना अभियुक्त देवीलाल खटीक का उक्त कृत्य अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व धारा 420, 285 आईपीसी का पाया जान से मौके पर ऑयल टैंकर एक लगभग 20 हजार लीटर क्षमता का लोहे का बना हो जिसमें तरल पेट्रोलियम पदार्थ जैसा दव्य लगभग 90 प्रतिशत क्षमता में भरा है, व एक काले रंग की प्लास्टिक की टंकी क्षमता लगभग 3000 लीटर जिसमें तरल पेट्रोलियम पदार्थ जैसा द्रव्य लगभग पूरा भरा हैं व एक काले रंग की प्लास्टिक की टंकी क्षमता लगभग 3000 लीटर जिसमें तरल पेट्रोलियम पदार्थ जैसा द्रव्य लगभग 20 प्रतिशत भरा है, मौतबिरान के समक्ष उपरोक्त हर तीनों में से एफएसएल जांच हेतु एक नमूना सैम्पल एवं 2 कन्ट्रोल सेम्पल एक–एक लीटर क्षमता वाले सेम्पल बॉक्स एल्यूमिनियम के बने हो का उक्त पेट्रोलियम तरल पदार्थ से धोया जाकर सीलबन्द किये जाकर लकड़ी के डिब्बों में रख कर पुनः सिल बन्द किये गये। व मार्क A, A1, A2 B, B1 B2, व C, C1, C2 दिये गये व तीनों टेंकर व प्लास्टिक की काले रंग की टंकियों को सील बंद किया गया। तथा सभी नमूना सेम्पल, कन्ट्रोल सेम्पल तथा टेंकर व प्लास्टिक की टंकियों पर चिट चस्पा की गयी। तथा उपरोक्त पेट्रोलियम जैसा

न्यायालय जिला कलक्टर

तरल पदार्थ द्रव्य निकालने हेतु व नापने के लिये उपयोग लिये जाने वाले उपकरण क्रमशः एक मोटर 3/4 एचपी की मय प्लास्टिक का पाईप लगा हुआ चालू हालात में वरूणा कम्पनी की तथा एक 10 लीटर व एक 5 लीटर का एल्यूमिनियम रंग जैसा नाप उपकरण तहबील पुलिस लिये गये तथा उपरोक्त तीनों उपकरणों को एक बोरे में रखे जाकर चिट चस्पा किया गया। मौके पर देवीलाल खटीक को बाद आगाही जुर्म हस्ब कायदा अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व धारा 420, 285 आईपीसी में जरिये फर्द गिरफतार किया गया, पट्रोलियम जैसा तरल पदार्थ से भरा टेंकर दो टंकिया मौके से थाने पर लाया जाना संभव नहीं होने से व सुरक्षा मापदण्ड के अनुसार उचित नहीं होने से उच्चाधिकारियों को हालात निवेदन करते हुए उक्त तरल पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टेंकर व टंकियों को प्लाट मालिक जमना लाल पिता मोहनलाल सुथार निवासी उपली ओडन को अमानतन सिपूर्द कर हमरा कानि. नरेन्द्र कुमार न.162, सुमित न.120 को सुरक्षा हेतु उचित हिदायत निगरानी हेतु की जाकर मौके पर तैनात किया गया। तत्पश्चात मय नमूना व कन्ट्रोल सैम्पल मय इलेक्ट्रोनिक मोटर व नाप उपकरण के बाद मौके की कार्यवाही मन एसएचओं मय जाब्ता मय गिरफतार शुदा मुल्जिम के मौके से रवाना हुआ थाने पर पहुंच मजमून पर्चा कायमी से मामला अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व धारा 420 285 आइपीसी के वकुवा में आना पाया जाने से प्रकरण समय 11.57 पीएम पर पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान श्री कंवरलाल उ.नि. के जिम्मे किया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ऑयल टेंकर व प्लास्टिक की काले रंग की टंकियों में संग्रहित पेट्रोलियम जैसा तरल पदार्थ 23,200 लीटर को राजसात करने की कृपा करावें। चुंकि उक्त सामग्री शीघ्र ज्वलनशील वस्तु है अतः धारा 6ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहद उक्त तरल पदार्थ का अन्तरिम निस्तारण (नष्ट) कराने का आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.08.2021 तक उपस्थिति दी उसके बाद से लगातार अनुपस्थित।

राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थी के पास से जब्तशुदा टेंकर, प्लास्टिक टंकियों व अन्य सामान तथा 23,200 लीटर अवैध तरल पदार्थ, अवैध रूप से कालाबाजारी की नियत से संग्रहित किया जाना पाया गया। जिसके बारे में अप्रार्थी के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से जब्तशुदा टेंकर, प्लास्टिक टंकियों व अन्य सामान तथा 23,200 लीटर अवैध पेट्रोलियम तरल पदार्थ को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करना फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जब्तशुदा टेंकर, प्लास्टिक टंकियों व अन्य सामान तथा 23,200 लीटर अवैध तरल पदार्थ, अवैध रूप से कालाबाजारी की नियत से संग्रहित किया गया था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से जब्तशुदा टेंकर, प्लास्टिक टंकियों व अन्य सामान तथा 23,200 लीटर अवैध तरल पदार्थ को नीलाम करते हुए राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा टेंकर, प्लास्टिक टंकियों व अन्य सामान तथा 23,200 लीटर अवैध तरल पेट्रोलियम पदार्थ को नीलाम करते हुए राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा टेंकर, प्लास्टिक टंकियों व अन्य सामान तथा 23,200 लीटर अवैध तरल पेट्रोलियम पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे।

(डॉ0 भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 21.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद